राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(39)राज/वाद/13 जयपुर, दिनांक 27/6/25

:: आदेश ::

श्री रविन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.7(39)राज/वाद/13 जयपुर, दिनांक 19.11.2019 के द्वारा निम्नानुसार आरोप प्रसारित किये गयेः–

"**आरोप संख्या–1** यह कि आप श्री रविन्द्र सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अपर लोक अभियोजक, क्रम–2, सीकर में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 29 व 30.07.2016, 01, 02 व 04.08.2016 तथा 10.08.2016 से 31.08.2016 तक स्वेच्छापूर्वक कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतकर गंभीर दुराचरण करने के लिये उत्तरदायी है। जैसा कि आरोप विवरण पत्र के आरोप संख्या–1 में वर्णित है।

आरोप संख्या–2 यह कि आप श्री रविन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक का आदेश दिनांक 07.12.17 के द्वारा कार्यालय अपर लोक अभियोजक,क्र03, सीकर से कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर में स्थानान्तरण किया गया, किन्तु आप द्वारा उक्त आदेश की पालना में समय पर जयपुर स्थित कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी गयी तथा दिनांक 10.01.18 को कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर में कार्यग्रहण किया गया। आप दिनांक 07.12.17 से 09.01.18 तक तत्पश्चात् दिनांक 12.01.18 से 18.08.19 तक कार्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे। विभागीय पत्र दिनांक 14.02.18, 08.06.18, 07.08.18, 12.12.18, 11.01.19 एवं 30.05.19 के द्वारा आपको कार्यालय में उपस्थित होने एवं कार्यालय से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु आपने कार्यालय में कर्त्तव्य पर समय पर उपस्थित नहीं होकर आदेशों की अवहेलना है, जो कर्त्तव्य के प्रति गंभीर दुराचरण है। इस प्रकार आप कार्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतकर गम्भीर दुराचरण करने के लिये उत्तरदायी हैं। जैसा कि आरोप विवरण पत्र के आरोप संख्या–2 में वर्णित है।"

उक्त ज्ञापन की प्रति आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह को प्रेषित कर इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया कि "क्या आप आरोप पत्र की सत्यता को स्वीकार करते है? अथवा अपने बचाव में आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहते है अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है?"

उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी कर्मचारी द्वारा उक्त ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 के संबंध में स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विभागीय आदेश दिनांक 24.02.2020 तथा पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा उक्त विभागीय जॉच में जॉच कर, अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष जांच रिपोर्ट दिनांकित 08.04.2024 प्रस्तुत की गई । जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 के द्वारा प्रसारित आरोप पत्र में विरचित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

जांच अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 08.04.2024 की प्रति विभागीय पत्र दिनांक 23.04.2024 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह को प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि जांच रिपोर्ट के संबंध में आप अपना पक्ष/अभ्यावेदन 07 दिवस की अवधि में प्रस्तुत

करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है तो उक्त 07 दिवस की अवधि में 01 दिवस पूर्व सूचित कर, किसी भी कार्य दिवस में अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवें। आरोपी कर्मचारी को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त 07 दिवस की अवधि में आप द्वारा अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में जांच रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय ले लिया जावेगा।

विभागीय पत्र दिनांक 23.04.2024 के क्रम में आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन/अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पुनः विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2024, 20.05.2024, 06.09.2024 एवं 10.10.2024 प्रेषित कर आरोपी कर्मचारी को अपना पक्ष/अभ्यावेदन अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया और यह भी निर्देशित किया गया कि आप द्वारा अपना पक्ष/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में यह समक्षा जावेगा कि जांच रिपोर्ट के संबंध में आप को कुछ नहीं कहना है तथा ऐसी स्थिति में जांच रिपोर्ट पर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी। इसके उपरान्त भी आरोपी कर्मचारी की ओर से अपनी उपस्थिति/अभ्यावेदन/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर विभागीय पत्र दिनांक 27.11.2024 के द्वारा निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह को जारी किये गये विभागीय पत्र दिनांक 27.11.2024 को दैनिक समाचार पत्र (राजस्थान पत्रिका के सीकर संस्करण) में प्रकाशन/साया करवाया गया। उक्त नोटिस दिनांक 27.11.2024 राजस्थान पत्रिका के सीकर संस्करण में दिनांक 05.12.2024 को प्रकाशित हुआ है। इसके बावजूद भी आरोपी कर्मचारी उसके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच के प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है।

विवेचनः –

प्रकरण से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड एवं विभागीय जाँच कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा गवाहों के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विभागीय आदेश दिनांक 05.03.13 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह को आदेश में वर्णित शर्तों के साथ कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिसकी पालना में श्री रविन्द्र सिंह ने इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय अपर लोक अभियोजक, सीकर में दिनांक 08.03.2013 को उपस्थिति प्रस्तुत कर कार्यग्रहण किया। विभागीय आदेश दिनांक 07.12.2017 के द्वारा आरोपी कर्मचारी का कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर में स्थानान्तरण किया गया था।

अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, सीकर ने अपने पत्र दिनांक 12.08.2016 व 02.09.2016 के साथ आरोपी कर्मचारी को प्रेषित किये गये कारण बताओं नोटिस दिनांक 02.08.2016 व 10.08.2016 तथा उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर बिना पूर्व के अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में इस विभाग को अवगत करवाया गया। इस संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 16.09.2016 के द्वारा आरोपी कर्मचारी से स्पष्टीकरण चाहा गया, जिसके क्रम में आरोपी द्वारा जवाब/स्पष्टीकरण दिनांक 22–23.09.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह अपने कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहा है किन्तु अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर के द्वारा उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं करवाये जा रहे है। अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर ने पत्र दिनांक 19.09.2016 एवं 04.10.2016 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह के अपने कार्यालय से दिनांक 10.08.2016 से लगातार बिना पूर्व अनुमति स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहते हुये दिनांक 12.09.2016 को उनकी बिना अनुमति के उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्यालय में कार्य संपादित नहीं करने के संबंध में कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु इस विभाग को अनुरोध किया गया। विभागीय

पत्र दिनांक 17.10.2016 के द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 16.09.2016 तथा आरोपी कर्मचारी से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 22–23.09.2016 तथा प्रकरण से संबंधित समस्त पत्रों की प्रति जिला कलक्टर, सीकर को प्रेषित कर आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह की अपने कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में गोपनीय जांच करवाकर अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर, सीकर के पत्र दिनांक 27.10.2016 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के संबंध में अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर से प्राप्त पत्रादि की छायाप्रति संलग्न कर इस विभाग को लिखा गया। विभागीय पत्र दिनांक 17.10.2016, जिसके द्वारा कार्मिक श्री रविन्द्र सिंह की अनुपस्थिति के प्रकरण में गोपनीय जांच रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु जिला कलक्टर, सीकर को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में जिला कलक्टर, सीकर ने पत्र दिनांक 20.08.2019 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति संलग्न कर इस विभाग को अवगत करवाया कि कार्मिक का राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के कार्यालय में स्थानान्तरण हो जाने के कारण वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.12.2017 को कार्यमुक्त किया जा चुका है तथा तत्कालीन अपर लोक अभियोजक श्रीमती सावित्री बाटड़ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिये कार्मिक की अनुपस्थिति बाबत विभागीय स्तर पर जांच कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.01.2018, 09.02.2018 व 26.06.2018 के द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को अवगत करवाया कि श्री रविन्द्र सिंह ने सीकर से स्थानान्तरण होकर आने के पश्चात दिनांक 10.01.2018 को उनके कार्यालय में कार्यग्रहण किया तथा दिनांक 12.01.2018 से लगातार अनुपस्थित हैं। इस संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 14.02.2018, 08.06.2018 व 07.08.2018 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह को प्रेषित कर कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से दिनांक 12.01.2018 से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये 07 दिवस के भीतर अपने कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 25.10.2018 को इस विभाग में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई, जिसमें लेख किया है कि प्रार्थी अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित हो गया था। प्रार्थी को ड्यूटी पर लिये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी अपने रोग एवं आरोग्य प्रमाण पत्र पृथक से प्रस्तुत कर देगा। आरोपी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई उपस्थिति रिपोर्ट मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय पत्र दिनांक 26.10.2018 के द्वारा राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को प्रेषित की गई, जिसके संदर्भ में राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.11.2018 के द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को अवगत करवाया गया है कि उन्हें विभागीय पत्र दिनांक 26.10.2018 के द्वारा प्रेषित की गई आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह की उपस्थिति रिपोर्ट प्राप्त हो गई है परन्तु आरोपी कर्मचारी ने उनके कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की है। पुनः विभागीय पत्र दिनांक 12.12.2018, 11.01.2019, 30.05.2019 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह को अपनी अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह की पत्नी श्री मंजू जाट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2019 प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसके पति श्री रविन्द्र सिंह नशे की लत के आदि होने के कारण कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सके, जिनको अब नवलगढ़ में नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती करवाया गया है, जहां पर 02 माह में नशा से मुक्ति मिलने का आश्वासन नशामुक्ति केन्द्र द्वारा दिया गया है। अतः 02 माह पश्चात उसके पति श्री रविन्द्र सिंह नशे से मुक्त होकर श्रीमान जी के समक्ष कर्त्तव्य पर उपस्थित हो जायेंगे। इस संबंध में आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा भी इस विभाग में प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

वह नशे की लत का आदि हो जाने के कारण अपने कर्त्तव्य पर दिनांक 10.02.2018 से आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हो सका। अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह रहा। प्रार्थी के द्वारा ऐसी कोई गलती व लापरवाही दुबारा नहीं होगी और अपने कर्त्तव्य के प्रति प्रार्थी जागरूक रहेगा। प्रार्थी के कार्यग्रहण हेतु राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को निर्देश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विभागीय पत्र दिनांक 20.08.2019 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को प्रेषित किया गया तथा प्रतिलिपि आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह को प्रेषित की जाकर उसे कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में आरोपी कर्मचारी द्वारा अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही कोई उसके बीमार होने के संबंध में दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा उसकी अनुपस्थिति अवधि के संबंध में प्रस्तुत किया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 जारी कर आरोप पत्र मय आरोप–विवरण पत्र प्रसारित कर निर्देशित किया गया कि "क्या आप आरोप पत्र की सत्यता को स्वीकार करते है? अथवा अपने बचाव में आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहते है अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है?"

आरोपी कर्मचारी द्वारा विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 के संबंध में निर्धारित अवधि में अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तदुपरान्त विभागीय आदेश दिनांक 24.02.2020 एवं पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई।

आरोपी कर्मचारी द्वारा उसे जारी किये गये ज्ञापन एवं आरोपों के संबंध में जॉच अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण दिनांक 25.11.2020 प्रस्तुत किया है, जिसमें उस पर आरोपित <u>आरोप संख्या–01</u> के संबंध में अभिकथन किया है कि वह कार्यालय अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर में पदस्थापन रहने के दौरान दिनांक 29 से 30 जुलाई 2016, 01, 02 एवं 04 अगस्त 2016 तथा 10.08.2016 से 31.08.2016 तक अनुपस्थित रहा है। यह भी लेख किया है कि उसके पिता का असामयिक निधन वर्ष 2011 में हो जाने के कारण उस पर परिवार के समस्त दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व होने के कारण उक्त अवधि में अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, जिसकी सूचना ई–मेल द्वारा कार्यालय में दी गई थी, परन्तु सूचना दर्ज रजिस्टर नहीं हुई। यह भी लेख किया कि प्रार्थी के माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने व प्रार्थी अपनी माता जी का इकलौता पुत्र होने के कारण उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिये अवकाशों का उपभोग किया था। इसलिये यह अवकाश प्रकरण कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का न होकर परिवार की देखभाल के लिये था। <u>आरोप संख्या–2</u> के संबंध में अभिकथन किया है कि प्रार्थी का राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के कार्यालय में विभागीय आदेश दिनांक 07.12.2017 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया था। प्रार्थी की माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनकी देखभाल के लिये प्रार्थी का उनके साथ रहना आवश्यक था। स्थानान्तरण आदेश की पालना में प्रार्थी अपने कार्यालय से कार्यमुक्त होकर, नवीन पदस्थापन कार्यालय में उक्त पारिवारिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित तिथि को उपस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सका और नवीन कार्यालय के संबंध में अधिक सूचना नहीं होने के कारण समय पर इस संबंध में कार्यालय को अवगत करवाने में असमर्थ रहा है। दिनांक 10.01.2018 को अपने कार्यालय में प्रार्थी ने अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की तथा कार्य संपादन किया। प्रार्थी के गृह निवास सीकर में उसकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण प्रार्थी को आन–फ़ानन में वापस सीकर लौटना पड़ा। माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने व पारिवारिक कलह के कारण प्रार्थी नशे का आदि हो गया। इससे उसके परिवार को लगभग 06 माह काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रार्थी के माताजी एवं

पत्नी द्वारा मानसिक सामर्थ्य देने पर प्रार्थी को उसकी गलती का अहसास हुआ और प्रार्थी ने नशे की लत से छुटकारा पाने के लिये नशामुक्ति केन्द्र, नवलगढ़ में रहकर नशामुक्ति का अभ्यास किया और उससे छुटकारा पाया। प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक होने पर प्रार्थी की माताजी ने प्रार्थी को जयपुर जाने की अनुमति दी तब प्रार्थी पुनः दिनांक 20.08.2019 को अपने कार्यालय में उपस्थिति दर्ज की तब से प्रार्थी अनवरत कार्य संपादन कर रहा है।

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का आद्योपांत अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी कर्मचारी उसके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच में उसे बार–बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद केवल दिनांक 25.11.2020 को जांच अधिकारी के समक्ष उस पर आरोपित आरोपों के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त जवाब में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, बल्कि आरोपी कर्मचारी द्वारा उस पर आरोपित आरोपों में वर्णित अवधि में स्वयं के बीमार हो जाने, माताजी के बीमार हो जाने एवं स्वयं के नशे का आदि हो जाने के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का अभिकथन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थापक अधिकारी द्वारा आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित किये जाने हेतु मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह श्री लक्ष्मण सिंह राजावत (पी.डब्ल्यू.–1) तथा श्री सुरेश कुमार वर्मा (पी.डब्ल्यू.–2) को प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुल 37 दस्तावेज (प्रदर्श पी–1 से पी–37) प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें विभागीय आदेश दिनांक 05.03.2013 प्रदर्श पी–1, अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर का पत्र दिनांक 12.08.2016, 02.09.2016 व 19.09.2016 के द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह के संबंध में लिखे गये पत्र प्रदर्श पी–2 से प्रदर्श पी–4, अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर द्वारा आरोपी कर्मचारी को जारी किये गये कारण बताओं नोटिस दिनांक 02.08.2016, 10.08.2016 व 15.09.2016 प्रदर्श पी–5 से प्रदर्श पी–7, अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को प्रेषित पत्र दिनांक 04.10.2016 प्रदर्श पी–8, विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण द्वारा जिला कलक्टर, सीकर को प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 17.10.2016, 16.12.2016, 07.08.2018 व 11.01.2019 प्रदर्श पी–9 से प्रदर्श पी–12, अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर द्वारा जिला कलक्टर, सीकर को प्रेषित पत्र दिनांक 14.09.2016 प्रदर्श पी–13, जिला कलक्टर, सीकर द्वारा आरोपी कर्मचारी को जारी पत्र दिनांक 21.09.2016 प्रदर्श पी–14, व उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16, विधि विभाग का आदेश दिनांक 07.12.2017 प्रदर्श पी–17, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को प्रेषित पत्र दिनांक 31.01.2018 व 09.02.2018 प्रदर्श पी–18 व प्रदर्श पी–19, विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण द्वारा आरोपी कर्मचारी को प्रेषित पत्र दिनांक 14.02.2018, 08.06.2018, 07.08.2018, 12.12.2018, 11.01.2019 व 10.05.2019 प्रदर्श पी–20 से प्रदर्श पी–25, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर का पत्र दिनांक 23.02.2021, जिसके द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह की दिनांक 16.12.2017 से दिनांक 21.02.2021 तक की अवधि में अनुपस्थिति अवधि 895 दिवस होने से अवगत करवाया गया है। उक्त पत्र दिनांक 23.02.2021 प्रदर्श पी–26 एवं अनुपस्थिति अवधि प्रदर्श पी–27, आरोपी कर्मचारी द्वारा शासन सचिव, विधि के समक्ष कार्यग्रहण करने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2019 प्रदर्श पी–28, आरोपी कर्मचारी की पत्नी श्रीमती मंजू जाट द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2019 प्रदर्श पी–29, आरोपी कर्मचारी द्वारा अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2016 प्रदर्श पी–30, जिला कलक्टर, सीकर द्वारा

प्रमुख शासन सचिव, विधि को प्रेषित पत्र दिनांक 27.10.2016 प्रदर्श पी–31, अपर लोक अभियोजक, सं02, सीकर द्वारा आरोपी कर्मचारी के अग्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2016 प्रदर्श पी–32, जिला कलक्टर, सीकर द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को प्रेषित पत्र दिनांक 20.08.2019 प्रदर्श पी–33, राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को प्रेषित पत्र दिनांक 26.06.2018 प्रदर्श पी–34, आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा शासन सचिव, विधि के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2018 प्रदर्श पी–35, विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण द्वारा राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 26.10.2018 प्रदर्श पी–36 एवं राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को प्रेषित पत्र दिनांक 22.11.2018 प्रदर्श पी–37 हैं।

इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 के द्वारा जारी आरोप पत्र में विरचित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

निष्कर्ष:–

हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर विचार किया, जिससे उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 08.04.2024 से असहमत होने का कोई आधार नहीं है।

अतः हस्तगत प्रकरण में जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुये आरोपी कर्मचारी श्री रविन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 के द्वारा प्रसारित/विरचित आरोप प्रमाणित पाये जाने के परिणामस्वरूप इनको तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्यूत (Dismissal from service) किये जाने के दण्ड से एतद्द्वारा दण्डित किया जाता है।

ह0

(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण।
2. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. लेखा शाखा/सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
5. श्री रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी वार्ड नं040, नवलगढ़ रोड़, आदर्श कॉलोनी सीकर।
6. ए0सी0पी0, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

27/6/24

शासन सचिव, विधि